राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 28.03.2020

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज जयपुर।

विषयः– अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों को कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु विभाग में 5 वर्ष या उससे कम अवधि से अनुपस्थित चल रहे नियमित चिकित्सकों तथा ऐसे प्रोबेशनर चिकित्सक जो एक वर्ष से कम अवधि से अनुपस्थित है, को दिनांक 03 अप्रेल, 2020 तक निदेशालय में कार्यग्रहण करवाये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वर्तमान विषम परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में जो चिकित्सक उक्त अवधि में निदेशालय में कार्यग्रहण कर लेंगे, उनकी अनुपस्थिति अवधि के प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक किया जावेगा।

यदि उक्त अनुपस्थित चिकित्सक निदेशालय में उक्त अवधि में कार्यग्रहण नहीं करते हैं तो ऐसे चिकित्सकों की सेवा समाप्ति के प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित करावें, ताकि इनकी सेवा समाप्ति की कार्यवाही करते हुए इनके रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के लिए राजस्थान मेडिकल काउन्सिल को लिखा जा सके।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजण
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अंधिकारी, राज.
7. निजी /रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव